

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के एकादश सत्र) फरवरी-मार्च, 2024 की कार्यसूची (खण्ड-02)

दिनांक- 21 फरवरी, 2024

माँग संख्या - 09 आय-व्ययक शीर्षक - सहकारिता विभाग

26. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सहकारिता विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1209,36,44,000/-(एक हजार दो सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख चौवालीस हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

27. श्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-2425, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105, उप शीर्ष 0101 के लिए 2,00,00,000/- रूपये की माँग 1,00,00,000/- रूपये से घटाई जाय ।

मितव्ययिता पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

28-31. श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक - स्वास्थ्य विभाग

32. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "स्वास्थ्य विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 14932,09,34,000/- (चौदह हजार नौ सौ बत्तीस करोड़ नौ लाख चौंतीस हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

33-35. श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहिन एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक - पंचायती राज विभाग

36. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पंचायती राज विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11025,84,21,000/-(ग्यारह हजार पच्चीस करोड़ चौरासी लाख इक्कीस हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

37-38. श्री राजेश कुमार एवं श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक - नगर विकास एवं आवास विभाग

39. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "नगर विकास एवं आवास विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11298,72,44,000/-(ग्यारह हजार दो सौ अंठानवे करोड़ बहत्तर लाख चौवालीस हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

40-42 श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री अजय कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक - आपदा प्रबंधन विभाग

43. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "आपदा प्रबंधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 9542,85,21,000/-(नौ हजार पाँच सौ बयालीस करोड़ पचासी लाख इक्कीस हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

44-45. श्री राजेश कुमार, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या 12

आय-व्ययक शीर्षक - वित्त विभाग

46. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "वित्त विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1088,53,82,000/- (एक हजार अठ्ठासी करोड़ तिरेपन लाख वयासी हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

47. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय । राज्य सरकार की बित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-15 आय-व्ययक शीर्षक - पेंशन

48. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पेंशन" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 31777,04,89,000/- (इकतीस हजार सात सौ सतहत्तर करोड़ चार लाख नवासी हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-17 आय-व्ययक शीर्षक - वाणिज्य-कर विभाग

49. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "वाणिज्य-कर विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 237,95,86,000/-(दो सौ सैंतीस करोड़ पंचानवे लाख छियासी हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

50. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय । राज्य सरकार वाणिज्य-कर नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-23 आय-व्ययक शीर्षक - उद्योग विभाग

51. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "उद्योग विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1833,08,64,000/- (एक हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ आठ लाख चौंसठ हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

52. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय । राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-08 आय-व्ययक शीर्षक - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

53. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 259,99,90,000/-(दो सौ उनसठ करोड़ निन्यानवे लाख नब्बे हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

54. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय । राज्य सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-52 आय-व्ययक शीर्षक - खेल विभाग

55. प्रभारी मंत्री, खेल विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "खेल विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 183,19,92,000/-(एक सौ तिरासी करोड़ उन्नीस लाख बानवे हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मॉॅंग संख्या-27 आय-व्ययक शीर्षक - विधि विभाग

56. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "विधि विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1315,13,23,000/- (एक हजार तीन सौ पन्द्रह करोड़ तेरह लाख तेईस हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

(राज कुमार) सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2024- 59 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण/ सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं अनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक, बिहार विधान सभा, पटना । ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2024- 5 ? /वि०स०, पटना, दिनांक- । परवरी, 2024 ई०। प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

> निदेशक. बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2024- 59 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 फरवरी, 2024 ई० । प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

बिहार विधान सभा, पटना । जिल्हा